(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) अपने बल में और लड़कियों को शामिल करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सी आर पी एफ नक्सल क्षेत्रों की लड़कियों को सुरक्षा गार्डों के रुप में प्रशिक्षित कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि नक्सल क्षेत्रों की इन प्रशिक्षित लड़कियों को स्थायी रुप से सी आर पी एफ में शामिल कर लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) एवं (ख) : जी, हाँ। वर्ष 2014-15 में सी आर पी एफ में एक महिला बटालियन का गठन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरुप सी आर पी एफ में और अधिक लड़कियों/महिलाओं की भर्ती होगी।**

**(ग) एवं (घ) : जी, हां । सी आर पी एफ ने सुरक्षा गार्डों के रुप में नक्सली क्षेत्रों की लड़कियों को प्रशिक्षित किया है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **राज्य** | **सुरक्षा गार्डों के रुप में सी आर पी एफ द्वारा प्रशिक्षित की गई लड़कियों की संख्या** | **उन लड़कियों की संख्या जिन्होंने निजी एजेन्सियों में नौकरी प्राप्त की** | **टिप्पणी** |
| **झारखण्ड** | **60** | **51** | **66 लड़कियां सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।** |
| **बिहार** | **83** | **83** | **-** |
| **ओडिशा** | **30** | **17** | **ओडिशा पुलिस होम गार्ड के साथ 13 लड़कियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है** |

**(ड़) : यदि प्रशिक्षित लड़कियां राज्यों में सी आर पी एफ/ सी ए पी एफ के अगले खुली भर्ती अभियान में आवेदन करती हैं और समस्त भर्ती औपचारिकताओं को पूरा कर लेती हैं, तो उन्हें सी आर पी एफ में भर्ती किया जा सकता है।**